तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/03/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी संख्या 1 ता 32 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। फायदी बहस बहस डिमांड 29/01/25 के पेश है।
29/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस वाद स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थना-पत्र के संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम अलग-अलग खसरा की भूमि में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया, मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा.-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/01/25 (सुभाशम पिडेल) R.A.S. सहायक कलेक्टर बाप (जोधपुर)